महत्वपूर्ण / ई–मेल / स्पीडपोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ, हजरतगंज, लखनऊ–226001

संख्या–550 / सी0ई0ओ0–4–17 / 4–2019 लखनऊः दिनांकः 16 मार्च, 2019

सेवा में,
समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019

विषयः लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019–फोटो मतदाता पर्चियों के मुद्रण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–470 / सी0ई0ओ0–4–17 / 4–2019 दिनांक 11.03.2019 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–3 / 4 / आई0डी0 / 2019 / एसडीआर / खण्ड–। दिनांक 28.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019 के प्रयोगार्थ फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। सुलभ संदर्भ हेतु आयोग के उक्त पत्र दिनांक 28.02.2019 के प्रस्तर–4 मे मतदाता पर्ची से सम्बन्धित दिए गए निर्देश निम्नवत् उद्धृत किए जा रहे हैंः–

"4. पूर्व के अवसरों पर, आयोग ने फोटो मतदाता पर्ची को पहचान के लिए एक दस्तावेज के रूप मे अनुमति दी थी। हालांकि, इसके दुरूपयोग के आधार पर स्टैंड–अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में इसके उपयोग के विरूद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि ये नामावली को अंतिम रूप देने के पश्चात मुद्रित होती है और बूथ स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से मतदान के नजदीक वितरित की जाती हैं। फोटो मतदाता पर्ची के डिज़ाइन में किसी भी प्रकार का सुरक्षा लक्षण शामिल नहीं है। वास्तव में, फोटो मतदाता पर्ची को एक वैकल्पिक दस्तावेज के रूप मे शुरू किया गया था क्योंकि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का कवरेज पूरा नही हुआ था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान मे 99 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र हैं और 99 प्रतिशत से अधिक वयस्कों को आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अब यह निर्णय लिया है कि इसके पश्चात से मतदान के लिए फोटो मतदाता पर्ची को स्टैंड–अलोन पहचान दस्तावेज के रूप मे स्वीकार नही किया जाएगा। हालांकि, फोटो मतदाता पर्ची को तैयार करना जारी रखा जाएगा और जागरूकता बढ़ाने के प्रयास के एक हिस्से के रूप मे मतदाताओं को जारी किया जाएगा। मतदाताओं को यह स्पष्ट करने के लिए कि मतदान के लिए फोटो मतदाता पर्ची को एक स्टैंड–अलोन पहचान दस्तावेज के रूप मे स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ये शब्द **"इस पर्ची को मतदान केंद्र में पहचान के उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपसे अपेक्षित है कि आप मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक दस्तावेजों मे से एक अपने साथ अवश्य लाएं"** बड़े अक्षरों मे

फोटो मतदाता पर्ची पर मुद्रित किया जाएगा। फोटो मतदाता पर्ची का मुद्रण जारी रहेगा।"

2– उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पार्श्वांकित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पर्ची के मुद्रण, वितरण एवं उनके अनुरक्षण से सम्बन्धित दिशा–निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं।

1. पत्र संख्या–831 / सी0ई0ओ0–2–8 / 2–2014 दिनांक 21.03.2014 के साथ आयोग के पत्र संख्या–464 / INST-VS/2014-EPS दिनांक 21.03.2014
2. पत्र संख्या–ए–02 / सी0ई0ओ0–4–3 / 4–2017 दिनांक 11.01.2017 के साथ आयोग के पत्र संख्या–464 / INST/2016-EPS दिनांक 26.12.2016,
3. पत्र संख्या–303 / सी0ई0ओ0–4–3 / 4–2017 दिनांक 20.01.2017 के साथ आयोग के पत्र संख्या–464/INST/VS/2017-EPS दिनांक 19.01.2017
4. पत्र संख्या–418 / सी0ई0ओ0–4–3 / 4–2017 दिनांक 01.02.2018 के साथ आयोग के पत्र संख्या–464/INST/2018-EPS दिनांक 15.01.2018
5. पत्र संख्या–385 / सी0ई0ओ0–2–4 / 2–2019 दिनांक 10.03.2019 के साथ आयोग के प्रेस नोट संख्या–ECI/PN/23/2019 दिनांक 10.03.2019

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस कार्यालय द्वारा आयोग के उक्त नवीनतम दिशा–निर्देश दिनांक 28.02.2019 के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता पर्ची जनपद स्तर पर मुद्रित किए जाने के विषय पर कार्यवाही की जा रही है, जिसके मुद्रण के बारे में शीघ्र ही आपको एक वेबलिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

4– वेबलिंक के माध्यम से डाउनलोडिंग के पश्चात् ए–4 साइज के कागज पर दो मतदाता पर्ची का प्रिन्ट निकाला जाएगा एवं प्रत्येक मतदाता पर्ची के पीछे संबंधित भाग संख्या के गूगल मैप की फोटोकापी की जाएगी।

5– उपरोक्तानुसार आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची जारी की जायेगी। उक्त फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, एक पृष्ठ पर दो मुद्रित की जाएंगी। इस फोटो मतदाता पर्ची के आमुख भाग पर निर्वाचक नामावली में उल्लिखित विवरणों के साथ–साथ भाग संख्या व नाम, कम संख्या, पोलिंग स्टेशन का नाम तथा मतदान का दिनांक इत्यादि का उल्लेख होगा एवं उक्त मतदाता पर्ची के पृष्ठ भाग पर गूगल मैप के पोलिंग स्टेशन से सम्बन्धित विवरण तथा बी0एल0ओ0 नाम / बी0एल0ओ0 के कॉन्टेक्ट नम्बर तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देश आदि मुद्रित किया जाएगा।

6– फोटो मतदाता पर्ची के मुद्रण और वितरण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायः–

1. फोटो मतदाता पर्ची मुद्रित करने का एक एप्लीकेशन इस कार्यालय द्वारा शीघ्र दिया जाएगा जिसके माध्यम से प्रश्नगत निर्वाचन के प्रयोगार्थ फोटो मतदाता पर्ची का मुद्रण किया जा सकता है। इस बारे में पृथक से आपको सूचित किया जाएगा।
2. **प्रत्येक ए–4 साइज पृष्ठ पर 02 मतदाताओं की फोटो मतदाता पर्ची मुद्रित होगी।**
3. फोटो मतदाता पर्चियों के मुद्रण के लिये नियमविहित टेण्डर आदि की प्रकिया अपनाकर नियमानुसार वेण्डरों का चयन कर लिया जाय और यह देख लिया जाय कि उनके पास आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26.12.2016 के प्रस्तर–3 में दिए गए निर्देशानुसार मुद्रण हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है।

4. यदि कहीं अतिरिक्त कम्प्यूटर्स/आपरेटर्स की आवश्यकता हो तो तत्काल उस कमी को पूरा कराया जाय।
5. संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पर्यवेक्षण में फोटो मतदाता पर्चियों के मुद्रण का कार्य होगा। अतः इस हेतु नोडल अधिकारी नामित कर लिया जाय।
6. लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 के प्रयोगार्थ फोटो मतदाता पर्ची का मुद्रण/फोटो प्रति के बारे में अवगत कराना है कि प्रश्नगत फोटो मतदाता पर्ची के आमुख भाग को मुद्रित कराया जाएगा तथा उसके पृष्ठ भाग की सूचनाओं की फोटोप्रतियां करायी जाएंगी।
7. लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 के प्रयोगार्थ **फोटो मतदाता पर्ची का मुद्रण/फोटो प्रति का कार्य कराये जाने के बारे में पूर्व निर्धारित दर रू0–1.55 प्रति पृष्ठ** (मतदाता पर्ची के आमुख भाग के मुद्रण हेतु निर्धारित अधिकतम दर रू0–1.00 (एक रूपये प्रति पृष्ठ) फोटो मतदाता पर्ची के पृष्ठ भाग पर गूगल मैप इत्यादि की फोटो प्रतियों हेतु निर्धारित दर रू0–0.55 पैसे (पचपन पैसे प्रति पृष्ठ) की दर निर्धारित की जाती है।
8. उपरोक्तानुसार **एक पृष्ठ पर दो मतदाता पर्ची का** आमुख पृष्ठ मुद्रण कराते हुए एवं पृष्ठ भाग पर गूगल मैप की फोटोप्रति कराते हुए **कुल अधिकतम अनुमन्य व्यय रू0–1.55** (मुद्रण हेतु रू0–1.00+फोटोप्रति हेतु रू0–0.55 पैसे प्रति पृष्ठ) है, **जो कि प्रति मतदाता पर्ची रू0–1.55/2= रू0–0.775 की अधिकतम दर अनुमन्य है।**
9. इस हेतु नियमविहित प्रकिया का पालन करते हुए एवं मार्केट सर्वे के पश्चात् मितव्ययिता का पालन करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यदि उक्त कार्य को कराने हेतु नियमविहित टेण्डर आदि की प्रकिया के पश्चात् कम दरें प्राप्त होती है, तो कम दरों पर ही कार्य जिलों द्वारा कराया जाय। उक्त निर्धारित दरें अधिकतम दरें हैं।
10. फोटो मतदाता पर्ची के मुद्रण के दौरान रैण्डम रूप से मुद्रित पृष्ठों की जॉच डाटाबेस से करके देखा जाय कि डाटा के अनुसार ही फोटो मतदाता पर्चियां मुद्रित हो रही हैं कोई अन्यथा त्रुटि तो नहीं है।
11. आयोग के निर्देशानुसार फोटो मतदाता पर्ची के मुद्रण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये **मुद्रण हेतु ओरिजनल टोनर और कम से कम 75 जीएसएम के कागज का उपयोग** किया जाय। **आमुख से सम्बन्धित विवरण को कागज के एक ओर ही मुद्रित किया जायेगा तथा उसके पृष्ठ भाग के विवरण की छायाप्रतियां करायी जाएंगी।**
12. प्रत्येक पृष्ठ पर मुद्रित पर्चियों को अलग–अलग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि कोई भी पर्ची फटने न पाये। पेपर कटर का प्रयोग किया जाना उपयुक्त होगा।
13. बूथ लेबिल अधिकारियों को वितरण हेतु उपलब्ध कराने के पूर्व यह चेक कर लिया जाय कि सभी पोलिंग स्टेशनों के सभी पृष्ठ मुद्रित हो गये हैं और उनकी गुणवत्ता अपेक्षानुसार है और प्रथम दृष्टया उनमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई पृष्ठ मिसिंग हो तो उसका मुद्रण/छायाप्रति पृथक से कराकर सेट

को पूरा कर लिया जाय।

14. सम्बन्धित डाटा की सुरक्षा (Security) अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह प्रकल्पित है कि जिलों द्वारा डाटा की सुरक्षा के संबंध में वेण्डरों के साथ किये गये एग्रीमेंट में आवश्यक प्राविधान रखे गये होंगे।
15. जिले में फोटो मतदाता पर्चियों के मुद्रण का कार्य इस प्रकार किया जाय कि **मुद्रण का सम्पूर्ण कार्य मतदान से 10 दिन पूर्व अवश्य पूरा** हो जाय और मतदाता पर्चियों को वितरण हेतु संबंधित बूथ लेविल अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाय।
16. यह स्पष्ट किया जाता है कि **फोटो मतदाता पर्ची की एक प्रति ही मुद्रित की जायेगी।** इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–831/सीईओ–2–8/2–2014 दिनांक 21.03.2014 के साथ उपलब्ध कराये गये आयोग के पत्र दिनांक 21.03.2014 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के प्रस्तर–बी दृष्टव्य है।
17. फोटो मतदाता पर्ची के मुद्रण के सम्बन्ध में साफ्टवेयर से सम्बन्धित यदि कोई कठिनाई हो तो कृपया **इस कार्यालय के कम्प्यूटर कक्ष के टेलीफोन नम्बर 0522–2234560** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

7– फोटो मतदाता पर्चियों के वितरण के संबंध में निम्नवत् कार्यवाही की जायः–

1. प्रत्येक पर्ची पर बूथ लेविल अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के बाद ही पर्ची का वितरण मतदाता को किया जायेगा।
2. बी0एल0ओ0 द्वारा फोटो मतदाता पर्ची, पंजीकृत मतदाता को या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को पूर्वमुद्रित रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराने के बाद दी जायेगी।
3. फोटोयुक्त मतदाता पर्ची पर Absent/Shifted/Dead (ASD) मतदाताओं की मार्किंग भी किया जायेगा। आयोग के पत्र दिनांक 21.03.2014 के प्रस्तर–d में विस्तृत दिशा–निर्देश दिए गए हैं, जो यथावत् हैं।
4. बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा फोटो मतदाता पर्ची के वितरण हेतु सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर द्वारा एक समय–सारिणी तैयार की जायेगी। इसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर द्वारा राजनैतिक दलों, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बीएलए को उपलब्ध करायी जाएगी। आयोग के पत्र दिनांक 21.03.2014 के प्रस्तर–e में विस्तृत दिशा–निर्देश उपलब्ध हैं।
5. वितरण कार्य के समय राजनैतिक दलों के बीएलए/निर्वाचन अभिकर्ता बीएलओ के साथ रह सकते हैं। आयोग के पत्र दिनांक 21.03.2014 के प्रस्तर–f में विस्तृत दिशा–निर्देश दिए गए हैं।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा मतदाता फोटो पर्ची के वितरण में पूर्णतया निष्पक्षता बरती जा रही है। यदि बीएलओ के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हैं और यह सिद्ध हो जाता है कि बीएलओ ने वितरण की सारिणी बूथ लेविल एजेन्ट/उम्मीदवारों या उनके एजेन्ट्स को नहीं बतायी है या उन्हें वितरण में अपने साथ रहने से मना किया है, तो ऐसे बी0एल0ओ0 के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।
7. फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के उचित वितरण न होने के सम्बन्ध में प्राप्त होने

वाली शिकायतों के बारे में सेक्टर आफिसर और रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर के स्तर पर एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। आयोग के पत्र दिनांक 21.03.2014 के प्रस्तर–k में विस्तृत दिशा–निर्देश दिए गए हैं।

8. बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा मतदाता पर्चियों का वितरण संबंधित मतदाताओं को इस प्रकार किया जाय कि **सभी मतदाताओं को मतदान के 5 दिन पूर्व पर्चियां प्राप्त हो जायें।** आयोग के प्रेस नोट दिनांक 10.03.2019 के प्रस्तर–17 में विस्तृत दिशा–निर्देश दिए गए हैं।

9. **सभी अवितरित फोटो मतदाता पर्चियों के बारे मे आयोग** के दिशा–निर्देश दिनांक 19.01.2017 मे दिए गए निर्देश निम्नवत् उद्धृत किए जा रहे हैं, जिसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है:–

i. All undistributed photo voter slips shall be returned by the BLO to the Concerned ERO concerned who shall keep the same in the sealed cover under safe custody;
ii. No further distribution of photo voter slips would be done after the same are returned to the ERO;
iii. ERO shall make an alphabetical list of undistributed photo voter slips in respect of each part/polling station;
iv. Two copies of the alphabetical list shall be handed over to the RO of the constituency;

2. Further, Para (n) and (o) the Commission Instruction no.464/INST-VS/2014-EPS, dated 21st March, 2014 regarding distribution of photo voter slip through facilitation counter at polling stations on poll day have been done away with.

10.मतदाता पर्चियों को थोक (Bulk) में बी0एल0ओ0 या किसी अन्य द्वारा वितरित नहीं किया जायेगा।

11.**किसी भी दशा में फोटो मतदाता पर्ची की फोटोप्रति वितरण हेतु तैयार नहीं करायी जायेगी।** आयोग के पत्र दिनांक 21.03.2014 के प्रस्तर–p में दिशा–निर्देश उपलब्ध हैं।

12.जिन पोलिंग स्टेशनों के बूथ लेविल अधिकारियों को मतदान ड्यूटी में लगाया गया हो उन क्षेत्रों में मतदाता पर्चियों के वितरण हेतु, यदि आवश्यकता हो तो, अन्य कर्मी को लगा दिया जाय ताकि मतदाता पर्चियों के वितरण में विलम्ब न हो।

13.सभी बूथ लेविल अधिकारी पूर्व की भांति मतदाता पर्चियों के वितरण हेतु एक पूर्व मुद्रित (pre printed register) रजिस्टर बना लेंगे जिसमें मतदाता का कमांक और नाम अंकित होगा। उसी के सामने मतदाता के हस्ताक्षर/अँगूठा निशान लगाया जायेगा। पर्ची की वितरण की तिथि भी रजिस्टर में अंकित की जायेगी।

14.समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा बॉटी गयी पर्चियों की रैण्डम जॉच करेंगे और रजिस्टर की जांच कर यह देखेंगे कि बूथ लेबिल अधिकारियों द्वारा समय से फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों का वितरण कर दिया गया है।

15.निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता पर्ची के वितरण का गहन अनुश्रवण करेंगे और जहॉ कहीं कोई विलम्ब परिलक्षित हो उन क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाफ

लगाकर समयबद्ध रूप से मतदाता पर्चियों का वितरण सुनिश्चित करायेंगे।

16.समस्त बूथ लेविल अधिकारियों से **संलग्नक में दिये गये प्रारूप पर एक प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा** कि उन्होंने सभी मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्चियों का वितरण कर दिया है।

17.**इसी प्रकार सेक्टर आफिसर से भी यह प्रमाण–पत्र** लिया जायेगा कि उन्होंने मतदाता पर्चियों के वितरण की रैण्डम जॉच कर ली है और वितरण को ठीक पाया गया है।

18.मतदाताओं को त्रुटिपूर्ण वितरण होने या मतदाता पर्ची उपलब्ध न होने संबंधी शिकायतों को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

19.बूथ लेविल अधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स से प्राप्त प्रमाण–पत्रों के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समस्त फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों के वितरण के संबंध में एक प्रमाण–पत्र जिला निर्वाचन अधिकारियों को देंगे तदनन्तर **जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को** प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायेंगे।

8– प्रस्तुत प्रसंग में मुझे यह कहना है कि इन निर्देशों में आयोग के समाविष्ट निर्देशों के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्र संख्या–831/सीईओ–2–8/2–2014 दिनांक 21.03.2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये आयोग के पत्र दिनांक 21.03.2014 एवं इस पत्र के साथ संलग्न आयोग के पत्र दिनांक 26.12.2016 के अंग्रेजी निर्देश को ही अन्तिम माना जायेगा।

9– उक्त के अतिरिक्त वोटर गाइड के मुद्रण एवं वितरण के बारे मे पृथक से निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

10– जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाता पर्ची मुद्रण/वितरण कार्य की अपने स्तर पर सघन समीक्षा करेंगे और जहॉ कहीं कोई समस्या हो उसका निराकरण करायेंगे।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्देशों को सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 अलका वर्मा)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या:550(1)/सी0ई0ओ0–4–तद्‌दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. श्री शैलेश श्रीवास्तव, टेक्निकल डायरेक्टर, एनआईसी, लखनऊ।
5. मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
6. कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0 अलका वर्मा)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

बूथ लेविल अधिकारी द्वारा फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के वितरण के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप (प्रारूप–1)

जिले का नाम :———— विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नामः————

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मुझे कुल ———— फोटो मतदाता पर्ची वितरण के लिये प्राप्त हुये थे जिनका मैंने दिनांक ——— से ———— 2019 के मध्य संबंधित मतदाताओं को वितरित कर दिया है और फोटो मतदाता पर्ची वितरण रजिस्टर पर प्राप्ति के हस्ताक्षर करा लिये हैं। मेरे पास अब कोई भी फोटो मतदाता पर्ची वितरण के लिये शेष नहीं है।

——— फोटो मतदाता पर्ची मतदाताओं के उपलब्ध न होने के कारण वितरित नहीं हो पाई उन्हें सूची बनाकर वापस कर दिया गया है।

बूथ लेविल अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः

भाग संख्याः

फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के वितरण की रैण्डम जॉच के संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेट्स द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप (प्रारूप–2)

जिले का नाम :———— विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नामः————

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने पोलिंग स्टेशन संख्या ———— में कुल ———— फोटो मतदाता पर्ची वितरण तथा पर्ची वितरण रजिस्टर की रैण्डम जॉच की है और वितरण के कार्य को ठीक पाया है।

सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

दिनांकः

भाग संख्याः

7/8

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा फोटो मतदाता पर्ची वितरण के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप (प्रारूप–3)

जिले का नाम :———— विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नामः————

प्रमाणित किया जाता है कि कुल ——— फोटो मतदाता पर्ची तैयार करके संबंधित बूथ लेविल अधिकारियों को वितरण हेतु उपलब्ध कराये गये थे। सभी बूथ लेविल अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं जिसके अनुसार ——— फोटो मतदाता पर्चियों का वितरण दिनांक ———— तक मतदाताओं के मध्य कर दिया गया है और ———— फोटो मतदाता पर्ची मतदाताओं के उपलब्ध न होने के कारण अवशेष हैं।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा फोटो मतदाता पर्ची वितरण के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाला प्रारूप (प्रारूप–4)

जिले का नाम :————

दिनांक ———— से ———— तक फोटो मतदाता पर्ची वितरण की स्थितिः

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	वितरण हेतु बीएलओ को दिये कुल फोटो मतदाता पर्ची की संख्या	वितरित फोटो मतदाता पर्ची की संख्या	विभिन्न कारणों से अवशेष मतदाता पर्ची की संख्या
1	2	3	4

हस्ताक्षर जिला निर्वाचन अधिकारी

8/8